ले.प.प्रति.सं.52/2018-19

कार्यालय उप जि□ला अधिकारी, धूमाकोट, पौडी गढवाल के माह अप्रैल/2012 से नवम्बर/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन **जो श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री रविन्द्र कुमार जयंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24-12-18 से 29-12-18 तक श्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

वर्तमान लेखापरीक्षा में **माह 04/2012 से 11/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गढवाल परिक्षेत्र, पौडी गढवाल।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	153.18	153.18	24.44	24.44	-	00
2016-17	-	-	150.77	150.77	22.44	22.44	-	00
2017-18	-	-	188.55	168.27	29.72	20.54	-	29.26
2018-19 11/2018 तक			158.57	133.83	15.97	14.59	-	39.33

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **कार्यालय उप जि□ला अधिकारी, धूमाकोट, पौडी गढवाल** को श्रेणी (सी) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

उप जिला अधिकारी

↓

तहसीलदार

↓

नायब तहसीलदार

↓

कानूनगो/भूलेख निरीक्षक(मैदानी/पर्वतीय)

↓

राजस्व निरीक्षक

↓

राजस्व उप निरीक्षक

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड कुमाऊँ परिक्षेत्र एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन **कार्यालय उप जि□ला अधिकारी, धूमाकोट, पौडी गढवाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु माह 07/13, 12/14, 13/16 एवं 10/16 को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग-II 'अ

'

-----------------शून्य -----------------

भाग दो ब

<u>प्रस्तरः1-</u> ई-डिस्ट्रीक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल नही किए जाने के कारण राजस्व हानि रू 5.25 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 140/xxxiv/2015/16/2008पार्ट-2 सूचना प्रौद्धोगिकी अनुभाग देहरादून दिनांक 21 मार्च 2015 के प्रस्तर 2 के अनुसार ई डिस्ट्रीक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्प्यूटरीकृत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओं के लिए शुल्क रू 30 का निर्धारण किया गया है!

कार्यालय के ई-डिस्ट्रीक्ट परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि कार्यालय उप जिला अधिकारी, धूमाकोट के अन्तर्गत मार्च 2015 से माह नवम्बर 2018 तक ई-डिस्ट्रीक्ट परियोजना के अन्तर्गत तहसील धूमाकोट में कुल 48231 प्रमाण पत्रो हेतु आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से तहसील में 21074 आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। उनसे प्रति प्रमाण पत्र रू 30 प्रति लाभार्थी की दर से शुल्क रू 632220 का प्राप्त किया गया है। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 27157 प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनसे केवल रू 10.68 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 290037 प्राप्त किये गये। जबकि जन सुविधा केन्द्रों द्वारा रू 30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 814710 शुल्क लिया जाना चाहिए, लेकिन जन सुविधा केन्द्रो द्वारा रू 19.32 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 524673 कम शुल्क शासकीय खाते में जमा किया गया है। जिसके कारण विभाग को रू 5.25 लाख की राजस्व की हानि हुई है।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि जन सुविधा केन्द्र उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अधीन संचालित है, शासन के निर्देशानुसार ही जन सुंविधा केन्द्रों द्वारा निर्देशों का पालन किया जाता है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासन द्वारा जारी मार्च 2015 के प्रस्तर 2 में शुल्क निर्धारित किये जाने के बाद भी जनसुविधा केन्द्रों द्वारा कम शुल्क लिया जा रहा है। जोकि शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन था।

अतः ई-डिस्ट्रीक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम वसूल किये जाने के कारण रू 5.25 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- धनराशि को बैंक/कोषागार में जमा न किया जाना रू 0.67 लाख।

कार्यालय के जनाधार प्राप्ति एवं जमा पंजिका की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 से जुलाई 2014 तक कुल रू 242100 की धनराशि प्राप्त हुई थी। उक्त धनराशि को अपने पास नगद रूप से रख लिया गया था। लेकिन रजिस्टर 4 की जांच में पाया गया है कि कुल प्राप्त धनराशि रू 242100 के सापेक्ष केवल रू 172633 जमा किया गया था। अवशेष धनराशि रू 67467 रूपये कहां जमा किये गये, इसका कोई प्रमाण नही प्राप्त हुए।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि उपरोक्त धनराशि जनाधार केन्द्र में नवम्बर 2011 से जुलाई 2014 तक व्यय किया गया है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः रू 67467 धनराशि को बैंक/कोषागार में जमा न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:02</u>- राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम 'कृषि गणना' हेतु तहसील स्तर पर तैयार किये गये रूपपत्रों का सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया संदिग्धपूर्ण सत्यापन/निरीक्षण का प्रकरण।

राष्ट्रीय कार्यक्रम 'कृषि गणना' से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तहसील धूमाकोट में कार्यरत लेखपालों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत तैयार करवायें गये अभिलेख जैसेः कि चिट्ठा, रूपपत्र एल-01, एल-02 एवं एच जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये गये है परन्तु तहसील स्तर पर उच्चधिकारियों द्वारा संदर्भित रूपपत्रों का किया गया सत्यापन/निरीक्षण से सम्बंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये। जिसके परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि कितने रूपपत्र उच्चाधिकारियों के द्वारा सत्यापित करवाकर प्रेषित किये गये हैं। तहसील स्तर पर रूपपत्रों का रख-रखाव से सम्बंधित पंजिका उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा में यह सत्यापन नहीं किया जा सका कि तहसील के अन्तर्गत- 348 ग्रामों में से कितने रूपपत्र एल-01, 02 एवं एच का उपयोग किया गया है और कितने शेष है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने प्रत्युत्तर में बताया कि कृषि गणना से सम्बन्धित रूपपत्र मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड़ देहरादून को प्रेषित कर दिये गये है। इससे संबंधित रूपपत्रों का सत्यापन तहसील स्तर पर उच्चाधिकारियों द्वारा सत्यापन कर ही भेजा जाता है। इकाई का उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि उक्त राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम के उपयोगार्थ आँकडों का उच्चाधिकारियों द्वारा संदर्भित रूपपत्रों का किया गया सत्यापन/निरीक्षण से सम्बंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नही करवाये गये। तहसील स्तर एक प्रारम्भिक/मुख्य स्तर है यदि प्रारम्भिक स्तर से ही वांछित आँकड़ों का सम्बंधित सक्षम उच्चाधिकारियों को निर्धारित निरीक्षण प्रतिशतानुसार निरीक्षण नहीं किया गया हो तो उच्च स्तर द्वारा प्रकाशित आँकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः3</u>- रोकड़बही का न बनाया जाना।

वित्तीय नियमानुसार रोकड़बही विभाग का मुख्य अभिलेख होता है जिसमें विभाग के सभी लेन देनों (नगद/चैक/ड्राफ्ट/ई पेमेंट) का लेखा रोकड़बही में इन्द्राज करना चाहिए।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धूमाकोट के लेखा अभिलेखों की जांच में देखा गया कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 04/2012 से 11/2018 तक के दौरान ट्रेजरी से किए गए कुल रू 11.50 करोड़ के लेन-देनों (स्थापना+गैर स्थापना) की कोई रोकड़बही नहीं बनाई गयी है जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अत रू 11.50 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनाये जाने का प्रकरण उच्चाधकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:04-</u> मुख्य एवं विविध देयो/आर०सी० की धनराशि रू 7.86 लाख की वसूली का लम्बित रहना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, धूमाकोट, जनपद पौड़ी के विविध देयों/ आर०सीज० से सम्बंधित पंजिकाओं एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया गया कि माह नवम्बर 2018 तक विविध देयों में रू 7.86 लाख के विविध देयों/आर०सीज० की धनराशि तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो -"अ"प्रस्तर संख्या	भाग दो -"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0
प्रथम लेखापरीक्षा			

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ----------- शून्य -----------------------------

<u>भाग-V</u>

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप जि□ला अधिकारी, धूमाकोट, पौडी गढवाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

सतत् अनियमितताएः शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रंम संख्या	**नाम**	**पद नाम**	**कार्यकाल अवधि**
1.	श्री अनिल गर्ब्याल	उपजिलाधिकारी	25.06.2015 से 24.10.2016
2.	श्री कमलेश मेहता	उपजिलाधिकारी	10.10.2016 से 12.01.2018
3.	श्री राजेश तिवारी	उपजिलाधिकारी	12.01.2018 से 20.07.2018
4.	श्री वरूण अग्रवाल	उपजिलाधिकारी	20.07.2018 से 25.07.2018
5.	श्री अनिल चन्याल	उपजिलाधिकारी	25.07.2018 से 30.11.2018
6.	श्री योगेश कुमार	उपजिलाधिकारी	30.11.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप जिला अधिकारी, धूमाकोट, पौडी गढवाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र